संख्या:15/2019/63बीपी/35-1-2019

प्रेषक,

आर.एन.एस.यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 04 जून,2019

विषयः बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में उद्यान विभाग की परियोजनाओं की स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुन्देलखण्ड पैकेज के अधीन वित्तीय वर्ष 2018-19 में उद्यान विभाग से सम्बन्धित निम्नलिखित 02 परियोजनाओं की शासनादेश संख्या-25/2018/118बीपी/35-1-2018 दिनांक 20 सितम्बर,2018 द्वारा रू. 6683.00 लाखकी लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 2138.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा रू. 2008.63 लाख की धनराशि व्यय की गई तथा अवशेष धनराशि वित्तीय वर्ष के अन्त समर्पित कर दी गई। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2019-20 में उद्यान विभाग की प्रश्नगत परियोजनाओं हेतु अनुमोदित लागत के सापेक्ष रू. 4674.37 लाख की धनराशि देय होती है। एतद्द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रश्नगत परियोजनाओं के कार्यों को पूर्ण करने हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रू. 4545.00 लाख (पैंतालीस करोड़ पैंतालीस लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(लाख रू. में)

	परियोजना का नाम	**अनुमोदित लागत**	**2018-19 में व्यय**	**अवमुक्त धनराशि**
1	**माइक्रोइरीगेशन**			
1.1	ड्रिप इरीगेशनसिस्टम	2375.00	123.46	2122.17
1.2	स्प्रिंकलर इरीगेशनसिस्टम	3602.00	1857.04	1744.96
	उपयोग(1)	**5977.00**	**1980.50**	**3867.13**
2	**पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेण्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर**			
2.1	राइपनिंगचैम्बर(22 चैम्बर, 50 मी. टन क्षमता प्रति)	385.00	0.00	385.00
2.2	प्याज भण्डार गृह(72 भण्डार गृह, 25 मी. टन क्षमता प्रति गृह)	63.00	6.13	56.87
2.3	आन फार्म पैक हाउस(81 सं.)	162.00	18.00	144.00
2.4	छोटी प्रसंस्करण इकाई(96 सं.)	96.00	4.00	92.00
	उपयोग(2)	**706.00**	**28.13**	**677.87**
	महा योग	**6683.00**	**2008.63**	**4545.00**

1. सन्दर्भित शासनादेशदिनांक 20 सितम्बर,2018 की शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।
2. स्वीकृत धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर/ डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. प्रश्नगत कार्यों हेतु उपलब्ध हुई इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप समयबद्ध ढंग से विलम्बतम 31 मार्च, 2020 तक पूर्ण कर लिया जायेगाऔर यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे दिनांक 31 मार्च,2020 से पूर्व समर्पित किया जायेगा।
4. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2020 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
5. परियोजनाओं हेतु उपलब्ध कराई गई धनराशि के सापेक्ष व्यय/ प्रगति सम्बन्धी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व उद्यानविभाग का होगा और तदनुसार नियोजन विभाग को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रेषित की जायेगी तथा व्यय धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

2- स्वीकृत धनराशि के समक्ष होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट के अनुदान संख्या-40 के अंतर्गत लेखाशीर्ष2575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम-02-पिछड़े क्षेत्र-800-अन्य व्यय-04-बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें-17- उद्यान विभाग की परियोजनायें-27-सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालयज्ञाप संख्या 1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर.एन.एस.यादव)
विशेष सचिव।

संख्या-15/2019/63बीपी(1)/35-1-2019 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव, उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5- निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी।
6- मण्डलायुक्त, झांसी/चित्रकूट धाम।
7- जिलाधिकारी, झांसी/ललितपुर/ जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/चित्रकूट।
8- मुख्य विकास अधिकारी,झांसी/ललितपुर/जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
9- कोषाधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
10- वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
11- गार्ड फाईल।
12- वित्त(व्यय नियंत्रण अनुभाग)-5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/ चित्रकूट।

आज्ञा से,

(आर.एन.एस.यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in